10/10/17 पत्रावली पेश उ0 की प्रार्थीगण व प्रतिवादिगण अनुपस्थित। बार-बार आवाज दिया। परन्तु प्रार्थीगण व वादी सामोहित उपस्थित न्यायालय नहीं हुये है प्रार्थना पत्र अंतर्गत आज्ञप्ति 17 नियम 2 सी0पी0सी0 खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर निकाल दी जाय। तथा बाद तकमील नकल के नस्ती हो। तथा बाद तकमील कार्यवाही गाटा दाखिल दफ्तर (ग) किये जाय। आज दि0 10-10-17 को मुझे न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़